



## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म०प्र०)

पता - डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001

E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in

Fax & Phone :- 07732-252029

क्रमांक/मा०चि०/2016/ 480  
प्रति,

पन्ना,दिनांक 8/3/2016

मुख्य वन संरक्षक  
छतरपुर वृत्त छतरपुर (म०प्र०)

विषय :- पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे० वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पृ०क्र/मा०चि०/568 छतरपुर दिनांक 16.02.2016

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रेषित प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियों की पूर्ती हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे। जिसके पालन में प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव की बिन्दुवार ऑनलाईन पूर्ती कर अपलोड किया जा चुका है। हार्ड कॉपी में भी पूर्ती उपरांत प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

| क्र० | पाई गई कमियां/त्रुटियां   | की गई पूर्ती का विवरण  |
|------|---|--|
| 1    | वनभूमि का कम्पार्टमेंट वाईज उपयोग का विवरण पार्ट-1 में नहीं दिया गया है। बांध से नहर निकालने पर वनभूमि प्रभावित होगी अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे। | आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का कम्पार्टमेंट वाईज विवरण दिया गया है। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-107 में संलग्न है।<br>बांध से नहर निकालने के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि नहर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। नहर के अन्तर्गत यदि वनभूमि प्रभावित होगी तो अलग से प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-108 में संलग्न है।   |
| 2    | आवेदित वनभूमि की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से दूरी तथा Eco-sensitive Zone से 10 कि०मी० के अन्दर है अथवा बाहर?  | आवेदित क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से 10.10 कि०मी० दूरी पर स्थित है तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के केन घड़ियाल अभ्यारण से 4.50 कि०मी० एवं गंगऊ अभ्यारण से 8.00 कि०मी० दूरी पर स्थित है।<br>प्रस्तावित योजना के क्षेत्र में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अधिसूचित बफर जोन का कक्ष क्र०पी-182 शामिल है। जिसके संबंध में ऑन लाईन प्रस्ताव के बिन्दु क्र०-8 के i, ii, iii, iv में विवरण दिया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-61 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त नवीन चैक लिस्ट एवं साईड इनपेक्सन के निर्धारित अनुक्रमांक 16 में विवरण दिया गया है, जिसकी प्रति पृष्ठ क्र०-67 पर संलग्न है। |
| 3    | गर्थवाईज 60 से.मी. से कम, 60-90 से.मी. तथा 90 से ऊपर के प्रति हेक्टेयर प्रभावित हो रहे वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में दी जाये?                    | योजना में प्रभावित वृक्षों की गणना एफ.आर.एल. 2 के अन्तर्गत एवं एफ.आर.एल. 4 के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की गणना निर्धारित प्रारूप में कराई जा कर ऑन लाईन बिन्दु क्र०-04 में Species-wise Local/scientific नाम सहित अपलोड करने के उपरांत प्रस्ताव के साथ मय गोशवारा के गर्थसाईजवार प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-96 से 103 तक संलग्न है।   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार एवं की गई कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।  | आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में ऑन लाईन बिन्दु क्र०-11 में विवरण दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-62 पर संलग्न है।<br>इसके अतिरिक्त नवीन चैक लिस्ट एवं साईड इनपेक्सन के निर्धारित अनुक्रमांक 06 में विवरण दिया गया है, जिसकी प्रति पृष्ठ क्र०-66 पर संलग्न है।<br>आवेदक संस्थान द्वारा बिना पूर्व स्वीकृति के वनक्षेत्र कक्ष क्र०पी-188 में कार्य किये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्र०-1513/08 दिनांक 09.08.2015 पंजीबद्ध किया जा कर कार्यालयीन पत्र क्र०/मा०चि०/1292 दिनांक 01.10.2015 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की संक्षेपिका तैयार कर वरिष्ठ की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ की ओर प्रेषित की गई है। जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-109 से 111 तक संलग्न है। |
| 5 | परियोजना से कोई ऐतिहासिक, पुरातत्वीय, पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक आदि डूब में प्रभावित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे। | आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो ऑन लाईन अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति हार्ड कॉपी में प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-112 पर संलग्न है।   |
| 6 | प्रभावित वनभूमि के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण तो नहीं चल रहा है।   | आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो ऑन लाईन अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति हार्ड कॉपी में प्रस्ताव के पृष्ठ क्र०-113 पर संलग्न है।   |

संलग्न :- प्रस्ताव तीन प्रतियों में पृष्ठ क्र०-01 से 113 तक।

( डॉ अनुपम सहाय )  
वन मंडलाधिकारी

उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/मा०चि०/2016/ 481

पन्ना, दिनांक 8/3/2016

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मंडलाधिकारी

उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)